बिहार शोध समागम

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

कौटिल्यकालीन कार्मिक प्रशासन में भर्ती व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

दीपक कुमार उपाध्याय
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
रजिस्ट्रेशन नं० –XM/R/550/22

शोध आलेख सारांश –

कार्मिक प्रशासन प्राचीनकाल से ही विभिन्न राज व्यवस्थाओं के लिए चाहे वो राजतंत्रीय व्यवस्था हो या लोकतंत्रीय व्यवस्था हो एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ रहा है। कौटिल्य ने आज से चौथी शदी ईसा पूर्व अर्थशास्त्र में कार्मिक प्रशासन के महत्व के उल्लेखित करते हुए कहा है कि एक विशाल राष्ट्र को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु राष्ट्र प्रमुख को एक सुसंगठित प्रशासनिक तंत्र या लोकसेवा संगठन की अनिवार्य आवश्यकता होती है। कौटिल्य का मानना था कि जैसे एक रथ को एक पहिए से गतिमान नहीं कराया जा सकता है उसी भांति एक राज्य के शासन कार्यो को भी बिना सहायता–सहयोग के संचालित नहीं किया जा सकता है इसलिए एक राजा को चाहिए की वह सुयोग्य अमात्यों (अधिकारी वर्ग) की नियुक्ति कर उनके परामर्श को हृदयंगम करे और उनके सहयोग से शासन कार्यो को संचालित करे।[(1)] कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में प्रथम, द्वितीय एवं पंचम अधिकरण के प्रकरणो के अन्तर्गत कार्मिक प्रशासन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं यथा–भर्ती, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन संरचना, सेवा शर्ते, आचरण नियमों एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि के बारे में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विवेचन प्रस्तुत किया है।

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कार्मिकों के लिए भर्ती की व्यवस्था

कौटिल्य ने राज्य के सफल संचालन हेतु राजकीय कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था का वैज्ञानिक व तार्किक विवरण प्रस्तुत किया है। कौटिल्य का विचार था कि राज्य प्रशासन के सफल संचालन व जनता को सुशासन प्रदान करने के लिये सच्चरित्र, सक्षम, सुयोग्य और निष्ठावान कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता है। इस हेतु आचार्य निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का समर्थन करते थे। संम्भवतः उस समय राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिये सभी वर्गो को समान अवसर व समान स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। अर्थशास्त्र में कहीं भी किसी सामाजिक वर्ग या वर्ण विशेष के लिये राजकीय पदों पर आरक्षण का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमे एक अपवाद कहा जा सकता है कि पुरोहित के पद पर 'योग्यतम ब्राह्मण' को नियुक्त किया जाए।

बिहार शोध समागम

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

इसका कारण यह हो सकता है कि उस काल में ब्राह्मण वर्ण शिक्षा व धर्म (Religion) कार्यो को ही करा करते थे। अर्थशास्त्र में अन्यत्र भी अगंरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु वंश–परम्परा सिद्वान्त का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों में सर्वाधिक बल सद्चरित्रता और योग्यताओं पर दिया था। अर्थशास्त्र में योग्यता के अतिरिक्त कुछ निश्चित परीक्षाओं का भी उल्लेख किया गया था जो उम्मीदवारों की भर्ती में आवश्यक शर्तो के रूप में शामिल की गयी थी।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भर्ती के सिद्वान्तों, संस्थात्मक व्यवस्थाओं, भर्ती के प्रकारों, परीक्षा पद्धतियों इत्यादि का विस्तार से उल्लेख किया है। जो निम्नलिखित प्रकार से है–

भर्ती के सिद्धान्त– कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भर्ती के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनो ही प्रकार के सिद्धान्तों का प्रयोग किया गया है। नकारात्मक सिद्धान्तानुसार अयोग्य व्यक्तियों को भर्ती मे आने से रोका जा सके और सकारात्मक सिद्धान्तानुसार योग्य एवं सक्षम, प्रत्याशियों को पदो पर भर्ती किया जा सके। इसके लिए आचार्य ने प्रत्याशियों की शारीरिक व मानसिक योग्यताओं एवं सद्चरित्रता पर सर्वाधिक जोर दिया था।

संस्थात्मक व्यवस्था– कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राजकीय पदों पर भर्ती हेतु संस्थात्मक व्यवस्था के रुप में आन्तरिक परिषद(2) जैसी शासकीय संस्था का भी उल्लेख मिलता है। यह वर्तमान भारत की संस्था– लोकसेवा आयोग के समकक्ष थी। कौटिल्य के मतानुसार यह भर्ती के लिए निर्धारित की गई सर्वोच्च संस्था थी। जिसमें सदस्यों के रूप में राजा, प्रधानमंत्री और पुरोहित शामिल थे। इस प्रकार ये आंतरिक परिषद् त्रिसदस्यीय भर्ती संस्था के रुप कार्य करती थी। यह आन्तरिक परिषद राज्य के सभी उच्चस्तरीय असैनिक एवं सैनिक पदो के साथ–साथ विभागीय प्रमुखों (अध्यक्षों) की भर्ती (नियुक्ति) करती थी। ये आंतरिक परिषद ही राजकीय नियुक्तियों के लिये प्रमुख उत्तरदायी संस्था के रूप में कार्यरत थी। यहां ये उल्लेखनीय तथ्य है कि मैगस्थनीज ने भी इस आंतरिक परिषद् को राज्य के सभी उच्चस्तरीय अधिकारियों जिसमें प्रांतीय राज्यपाल (Provincial Governors) भी शामिल है कि नियुक्ति के हेतु वैधानिक दृष्टि से अधिकृत माना है। भर्ती के प्रकार कौटिल्य ने राजकीय पदों पर भर्ती हेतु दो प्रकारो का वर्ण किया गया है जो इस प्रकार से है–

प्रत्यक्ष भर्ती – कौटिल्य के मतानुसार कुछ राजकीय पद ऐसे थे जिस पर राजा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति करता था। अर्थशास्त्र में यह भी उल्लेखित दिया गया है कि राजा स्वयं उन अमात्यों की नियुक्ति करता था जो की उसके प्रशासन में उसके मन्त्री (मन्त्रिन्) के रूप में सेवा प्रदान करते थे जैसे कि (अ) प्रधानमंत्री और मुख्य पुरोहित (ब) तीन या चार मन्त्रियों का वह समूह जो राज्य का परामर्श देने के लिए हमेशा तत्पर रहें ये राज्य के सलाहकार या परामर्शदाता के रूप मे होते थे (स) मन्त्रिगण जो

बिहार शोध समागम

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

राजा की मन्त्रिपरिषद् के सदस्य होते थे। इन उपरोक्त वर्णित तीन मंत्री वर्गो के अतिरिक्त जितनी भी प्रशासनिक–भर्ती व नियुक्तियाँ की जाती थी उनकों राज्य अपने मंत्री (प्रधानमंत्री) और पुरोहित के सहयोग एवं परामर्श से करता था।(2)

अप्रत्यक्ष भर्ती– इन उपरोक्त वर्णित तीन मंत्री वर्गो के अतिरिक्त जितनी भी प्रशासनिक भर्ती व नियुक्तियाँ की जाती थी उनकों राजा अपने मंत्री (प्रधानमंत्री) और पुरोहित के सहयोग एवं परामर्श से करता था। यह भर्ती अप्रत्यक्ष प्रकार की भर्ती कहलाती थी। भर्ती के आधार–कौटिल्य के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति का आधार उम्मीदवारों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताऐं होती थी। अमात्य पदों पर नियुक्ति हेतु शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के अतिरिक्त चार प्रकार की परीक्षाऐं जो धर्म, अर्थ, काम, व भय से संबधित थी को उत्तीर्ण करना भी उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य था।

उच्चाधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग की भर्ती के सन्दर्भ में कौटिल्य की अवधारणा

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के अन्तर्गत कार्मिक प्रशासन के सन्दर्भ में अध्ययन करते हुये यह तथ्य भी ज्ञात होता है कि उस काल में प्रशाकीय तंत्र में निम्न स्तर के कर्मचारी की अपेक्षा उच्च श्रेणी के अधिकारियों को अधिक महत्व दिया जाता था। इसका प्रमुख कारण यह है कि उच्च श्रेणी के अधिकारियो ं को निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा अधिकार एवं उतरदायित्व प्रदान किये गये थे। हर स्तर का उच्चाधिकारी जिसमें की राजा, मंत्री, (प्रधानमंत्री), मंत्रीगण, पुरोहित, और गुप्तचर व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष भी शामिल थे उनमें उच्चस्तरीय शारीरिक व मानसिक गुणों की अपेक्षा की जाती थी। ये उच्च गुण उनके लिए पदचयन की आवश्यक योग्यताएं थी। उनकी इस गुणवत्ता को समय पर विभिन्न कसौटियों के जरिये जाँचते रहने की व्यवस्था थी। उच्च पदों पर नियुक्त अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे बौद्धिक होने के साथ–साथ शारीरिक रूप से सक्षम, सद्चरित्र और ईमानदारी जैसे नैतिक गुणो से युक्त होगें। ठीक इसके विपरित निचले दर्जे के राजकीय कर्मचारियों से उनके दायित्वों के प्रति ईमानदारी और कर्त्तव्य परायण होने के अलावा किसी भी गुण की अपेक्षा नहीं की जाती थी।

कौटिल्य का मत था कि छोटे कर्मचारियों की कमी को तो दूसरी नियुक्तियों द्वारा पूरा किया जा सकता है परन्तु प्रमुख कार्यकर्त्ताओं (प्रमुख अधिकारी) तो हजारों में से एक ही मिलता हैं क्योंकि हर व्यक्ति में उतनी योग्यताएं (निर्धारित योग्यताएं) मिलना आसान नहीं है, या कभी–कभी प्रमुख कार्यकर्त्ता मिलता ही नहीं है। अपनी बुद्धि व बल की अधिकता के कारण ही वह छोटे कर्मचारियों का स्वामी या आश्रय होता है। इससे स्पष्ट होता है कि गुणों के महत्व के कारण ही कौटिल्य ने उच्चाधिकारियों को अधिक महत्व प्रदान किया है परन्तु प्रशासनिक प्रक्रिया के सफल संचालन में अन्य कर्मचारियों के योगदान को भी कम नहीं आंका है। भर्ती प्रणालियाँ कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रणालियों का

भी वैज्ञानिक वर्णन किया है जो इस प्रकार से है–

योग्यता आधारित भर्ती – कौटिल्य ने प्रत्येक पद पर भर्ती हेतु योग्यता को अनिवार्य व सर्वप्रमुख माना है अतः राजकीय सेवा में आचार्य ने प्रत्येक पद के लिये निश्चित योग्यताओं का निर्धारण भी किया है। इस प्रकार से योग्यता के आधार पर की गई भर्ती योग्यता आधारित भर्ती सिद्धान्त के अन्तर्गत रखी जा सकती है। इस भर्ती–पद्धति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यता –राजा के बाद यह प्रशासनिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण पद माना गया है। कौटिल्य ने इस पद के लिए निश्चित योग्यताएं बतायी है। इस पद हेतु उम्मीदवार राज्य का निवासी हो, कुलीन वंश का हो, अवगुणों से रहित हो, निपुण सवार एवं ललितकलाओं का ज्ञाता हो, अर्थशास्त्र का विद्वान हो, बुद्धिमान, चतुर, स्मरणशक्ति सम्पन्न, दबंग, वाक्पटु, उत्साही, प्रतिवाद और प्रतिकार करने में समर्थ हो। वह प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, होना चाहिए। मन्त्री की नियुक्ति से पूर्व राजा को निम्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है–

- राजा को चाहिए की वह मंत्री की नियुक्ति से पूर्व प्रामाणिक, सत्यवादी और आप्त पुरूषों से उनके निवास स्थान एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाये।
- सहपाठियों के द्वारा उनकी योग्यता व शास्त्र प्रवेश का ज्ञान प्राप्त करे।
- नये–नये कार्यो में नियुक्त करके उसकी बुद्धि,स्मृति व चतुराई को परखे।
- व्याख्यानों, व सभाओं द्वारा उसकी वाक्पटुता, दबंगता व प्रतिभा को जाने।
- आपत्तियों में उनके उत्साह, प्रभाव, सहिष्णुता को परखें।
- व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता, दृढ़ता व स्वामिभक्ति को जाँचें।
- स्हवासियों व पड़ोसियों के द्वारा उनके शील, स्वास्थ्य, व, गौरव, अप्रमाद और स्थिर प्रकृति गुणों का पता लगाये।
- राजा स्वयं उनके मधुर स्वभाव व द्वेषरहित प्रकृति की परीक्षा करें।

उपरोक्त सभी प्रकार की जांच पड़त करने के बाद ही राजा संतुष्ट होकर मंत्री नियुक्ति करें।

पुरोहित पद हेतु योग्यता –कौटिल्य ने इस पद के लिये उम्मीदवार में निम्न योग्यताएं आवश्यक बतायी है – वह पुरूष उच्चकुलोत्पन्न, शीलगुणसम्पन्न, वेद एवं छः वेदांगो का ज्ञाता, ज्योतिष, शकुन शास्त्रों व दण्डनीति में पारंगत हो। साथ ही साथ वह अथर्ववेद में वर्णित आपदाओं के निराकारण का भी ज्ञाता हो। इस पद की महता को बताते हुये कौटिल्य ने लिखा है कि जैसे गुरू के पीछे शिष्य को, पिता के पीछे पुत्र को, स्वामी के पीछे सेवक को चलना चाहिए वैसे ही राजा को पुरोहित का अनुगामी होना चाहिए।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

अमात्य पद पर नियुक्ति हेतु योग्यताएं –कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राजकीय प्रशासन के महत्वपूर्ण उच्चाधिकारी (अमात्य) की नियुक्ति के लिए भर्ती किये जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित योग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के मतानुसार किसी भी पुरूष की सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्यो की सफलता पर निर्भर है और उसकी यह कार्यक्षमता उसकी विद्या, बुद्धि के बल पर ही आंकी जा सकती है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सहपाठी आदि की भी सर्वथा अवहेलना न करें। परंन्तु राजा के लिए यह परम आवश्यक है कि वह विद्या, बुद्धि, साहस, गुण दोष, देश काल पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करें किंतु उन्हें अपना मंत्री कदापि न बनाये।

राजा के अंगरक्षक पद हेतु योग्यताएं –कौटिल्य ने राजा के अंगरक्षक पद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। अर्थशास्त्र में उन्होंने इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की जो योग्यताऐं निर्धारित की थी वे हैं – वह पुरूष वंशपरम्परा से अनुगत, उच्चकुलोत्पन्न, शिक्षित, अनुरक्त, और प्रत्येक कार्य को भलीभाँति समझने इत्यादि गुणो ं से युक्त होना चाहिए। कौटिल्य ने यहां ये निषेध भी किया है कि धन–सम्मान रहित विदेशी व्यक्ति को तथा एक बार पृथक होकर पुनः नियुक्त स्वदेशी व्यक्ति को भी इस अंगरक्षक (राजा के) पदों पर नियुक्त नहीं किये जाए।[(6)]

गुप्तचर पद हेतु योग्यताएँ– अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यह मत भी प्रकट किया है कि विभिन्न परीक्षण उपायों के द्वारा अमात्य वर्ग को परीक्षित कर लेने के बाद राजा गुप्तचर पदों पर नियुक्ति करें। गुप्तचर पद पर नियुक्ति के प्रसंग में ही कौटिल्य ने विभिन्न गुप्तचर पदों के लिये आवश्यक योग्यताओं का भी उल्लेख किया है।[(4)]

राजदूत पद हेतु योग्यताऐं :–कौटिल्य ने तीन प्रकार के राजदूतों के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यताओं का भी निर्धारण किया है। जैसे निसृष्टार्थ राजदूत पद में अमात्य पद के लिये निर्धारित जो योग्यताऐं थी वो होनी आवश्यक बतायी गयी है। उनमें से एक चौथाई गुण हीन परिमितार्थ और आधा गुणहीन शासनहर राजदूत कहलाता था।[(5)]

लेखक पद हेतु योग्यताऐं :– कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजकीय शासन (आदेशों) को लिखने वाले लेखक पद की योग्यताओं का भी उल्लेख किया है कौटिल्य का यह मानना था कि इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवार में अमात्य की योग्यता हो, आचार–विचार का ज्ञान हो, शीघ्र ही सुन्दर वाक्य योजना करने में निपुणता हो, सुलेखक और विभिन्न लिपियों को पढ़ने–लिखने वाला हो। इसके अतिरिक्त वह लेखक प्रकृतिस्थ होकर राजा के संदेशों को सुने और पूर्व पर प्रसंगो को दृष्टि में रखकर स्पष्ट अभिप्राय प्रकट करने वाले लेख को लिखने में सक्षम हो।[(7)]

परीक्षा प्रणाली पर आधारित भर्ती

बिहार शोध समागम

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

कौटिल्य ने विशेषतः अमात्य पद की भर्ती के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का उल्लेख किया है। अमात्य पद के लिए योग्य उम्मीदवार के चयन हेतु आचार्य ने एक सुव्यवस्थित और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली का उल्लेख किया है। इन परीक्षाओं के द्वारा अमात्य पद के लिए सुयोग्य व्यक्ति की योग्यताओ का परीक्षण किया जा सकता था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के इस मत का उल्लेख है कि सामान्य पदों पर अमात्यों की नियुक्ति करने के लिए राजा मंत्री (प्रधानमंत्री) व पुरोहित के सहयोग से गुप्त उपायों के द्वारा उनके (अमात्य पद उम्मीदवारों) आचरण व्यवहार की परीक्षा करे। यहां कौटिल्य ने एक महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किया है कि अमात्यों की परीक्षा अवश्य ली जाए पर उस परीक्षा का माध्यम राजा अपने को तथा रानी को न बनायें। किन्तु अर्थशास्त्र में परीक्षा लिखित या मौखिक ली जाती थी इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। परीक्षा पर आधारित इस भर्ती पद्धति के अन्तर्गत परीक्षण के चार प्रकार बताये गये है। ये चार प्रकार की परीक्षाएं निम्नलिखित है

धर्मोपधा परीक्षा –इस परीक्षा के अन्तर्गत गुप्त धार्मिक उपायो द्वारा अमात्य पद के उम्मीदवार की हृदय की पवित्रता की जाँच की जाती थी। इस परीक्षा विधि में राजा पुरोहित भी परीक्षक के रूप प्रयुक्त करता था। राजा द्वारा पुरोहित ने किसी नीच जाति के यहां यज्ञ करने और मान लेना चाहिये की वह पवित्र हृदय है। इस प्रकार गुप्त आर्थिक उपायो द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा ही अर्थोपधा–परीक्षा कहलाती थी।

कामोपधा परीक्षा– गुप्त काम सम्बन्धी–उपायो द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा के कामोपधा परीक्षा कहते है। इसमें राजा किसी सन्यासिनी, वेषधारी गुप्तचर स्त्री को प्रयुक्त करता है। वह उसे अन्तःपुर में ले जाकर उसका सादर सत्कार करे और फिर वह स्त्री एक–एक अमात्य के निकट जाकर यह प्रस्ताव रखे कि महारानी उन्हें पसन्द करती है तथा उनसे सम्बन्ध रखना चाहती है। इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है और उन्हें इस हेतु यथेष्ट धन भी दिया जायेगा। यदि उपरोक्त प्रस्ताव का अमात्य विरोध करे तो वह इस परीक्षा में सफल घोषित है।

भयोपधा परीक्षा – इस परीक्षा के अन्तर्गत कौटिल्य ने वर्णित किया है कि नौका–विहार के लिए एक अमात्य दूसरे अमात्यों को बुलाये। इस प्रस्ताव पर राजा उत्तेजित होकर उन सबको दण्डित कर दे। तदनन्तर राजा द्वारा पहले अपकृत हुआ छात्र वेषधारी गुप्तचर तिरस्कृत अमात्य के निकट जाकर यह प्रस्ताव रखे कि यह राजा बुरा है इसका वध करके दूसरे राजा को नियुक्त करना चाहिए। इस प्रस्ताव पर सभी अमात्यों की स्वीकृति है आप की क्या राय है। यदि अमात्य उसका विरोध करे तो उसे शुचिचित समझना चाहिए। गुप्त भय सम्बन्धी उपायों द्वारा अमात्य की शुचिता की परीक्षा को ही भयोपधा कहते है।[8]

बिहार शोध समागम
BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

सर्वोपधाशुद्ध – इसके अन्तर्गत जो अमात्य उपरोक्त चारों प्रकार की परीक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरता था अर्थात जिसे धन का लालच न हो, जो दूसरे के डर से कोई कार्य न करे, काम के वश में होकर अपने कर्त्तव्य से विचलित न हो, धार्मिक भावनाओं के प्रभाव में आकर असत्य के मार्ग पर प्रवृत न हो वह सर्वोपधाशुद्ध कहलाता था। यह व्यक्ति ही मन्त्री या मन्त्रीपरिषद के सदस्य बनाये जाते थे। सर्वत्राशुचीन्– इसके अतिरिक्त सभी परीक्षाओं में असफल अमात्य उम्मीदवारों को सर्वत्राशुचीन् विशेषण से संबोधित किया गया है।

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में वर्णित लोकसेवकों की परीक्षण व्यवस्था एवं सम्बद्ध पदानुक्रम

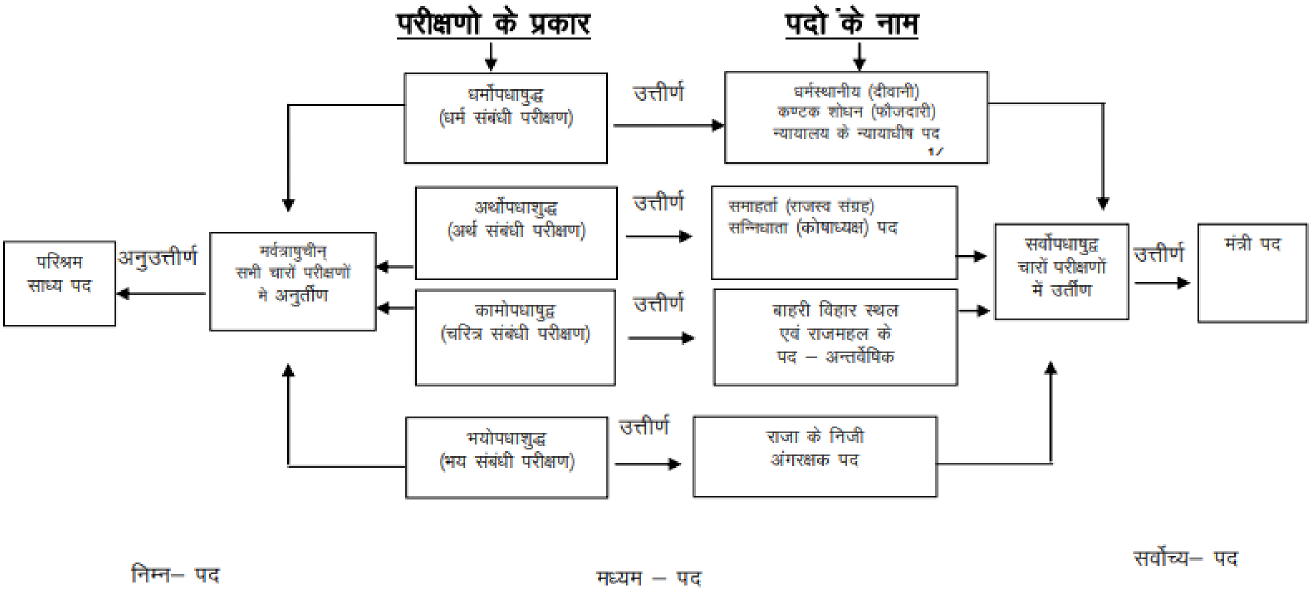

अमात्यों (राजकीय अधिकारियों) की नियुक्ति एवं पद स्थिति

कौटिल्य ने अमात्यों के लिए निर्धारित चार प्रकार की परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का भी विस्तार से वर्णन किया है। जो इस प्रकार से है

न्यायिक पदों पर नियुक्ति

जो अमात्य धर्मोपधा परीक्षा में उतीर्ण हो जाते थे उन्हें धर्मस्थानीय (दीवानी कचहरी) तथा कंटकशोधन (फौजदारी कचहरी) न्यायालयों में न्यायिक कार्यो हेतु नियुक्त किया जाता था।

राजस्व–व कोष (वित्त) पदों पर नियुक्ति

जो अमात्य अर्थोपधा परीक्षा में सफल रहते थे उन्हें समाहर्ता (राजस्व सग्रंहकर्ता) तथा सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) के पदों पर नियुक्त किया जाता था।

अन्तःपुर (राजकीय आवास) पदों पर नियुक्ति

बिहार शोध समागम

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

वे अमात्य जो कामोपधा परीक्षण में उत्तीर्ण हुये हो उन्हें राजकीय आवास में राजकीय महिलाओं से सम्बन्धित विभागो में नियुक्त किया जाता था। ये राज्य के अन्तपुर एवं बाहरी विलास स्थानों (विहारों) दोनों के लिए पदो पर नियुक्त होते थे।

अंगरक्षक (राजा के) पदों पर नियुक्ति

भयोपधा परीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यो को उनकी स्वामिभक्ति एवं साहस के कारण राजा के अंगरक्षक पदों पर नियुक्त किया जाता था। उन्हें आसन्नाकार्येषु कहा गया है।

मन्त्री पदों पर नियुक्ति

कौटिल्य के मतानुसार जो अमात्य चारों प्रकार के परीक्षणों में सफल होते थे अर्थात् सर्वोपधाशुद्ध होते (जो धर्म, अर्थ, काम व भय की परीक्षाओं में खरे उतरे) ऐसे व्यक्तियों को मन्त्रीपरिषद् का सदस्य बनाया जाता था। ये अमात्य ही मंत्री पद पर नियुक्त किये जाते थे। मन्त्रियों की नियुक्ति करते हुए राजा मंत्री (प्रधानमंत्री) और पुरोहित संज्ञा के दो प्रधान अमात्यों से परामर्श लेता था और उनकी सम्मति के अनुसार राज्य के सब प्रधान अमत्यों की नियुक्ति की जाती थी।

सामान्य पदों पर नियुक्ति

इसके अन्तर्गत वे सभी व्यक्ति आते थे जो अमात्य पद के लिए योग्य है परन्तु जो परीक्षित नहीं है या जिसने परीक्षा को नहीं दिया है वह सभी सामान्य विभागों में रखे जा सकते थे।

अन्य पदों पर नियुक्ति

वे अमात्य जो उपरोक्त वर्णित चारों प्रकार की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते थे उन्हें राज्य के दूर के स्थानों पर जैसे खानों, लकड़ी या हाथियों के वनो ं या कारखानों में अधीक्षक के पदों पर परिश्रम साध्य कार्यो पर नियुक्त किया जाता था।[9]

परीक्षा पद्धति एवं नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाये रखने हेतु

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में अमात्य पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षा प्रणाली और नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ सावधानियों को प्रयुक्त करने का भी उल्लेख किया है।जिससे भर्ती व्यवस्था में निष्पक्षता बनी रहे। कार्मिक प्रशासन की दृढ़ता बनाये रखने के लिए इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक प्रतीत होता है। ये इस प्रकार से है – सभी पुरातन अर्थशास्त्रविद् आचार्यों का यह अभिमत था कि धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परीक्षित हृदय से पवित्र अमात्यों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार कार्यभार या पद नियुक्ति दी जानी चाहिए। कौटिल्य ने यहां एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि अमात्यों की नियुक्ति हेतु परीक्षा आवश्यक ली जाये परन्तु उस परीक्षा का माध्यम राजा अपने स्वयं को तथा रानी को न बनाये। इसका कारण कौटिल्य ने यह बताया कि कभी–कभी किसी निर्दोष अमात्य को छलप्रपन्चयुक्त इन गुप्त रीतियों से ठगा

जाना वैसा ही है जैसे की शुद्ध पानी में विष घोल देना है। इस बात की सम्भावना है कि उक्त रीतियों से नाराज हुआ अमात्य कभी सुधर न सके क्योंकि कपट उपायों से ठगे हुये चरित्रवान् व्यक्ति की बुद्धि जब तक चैन नहीं लेती है जब तक की वह अपना अभिष्ट प्रदान करता (अर्थात् अपने अपमान का बदला न लेले)। इसलिए राजा और प्रशासन की सुरक्षा की दृष्टि के उक्त चारों उपायों से परीक्षण करने के लिए राजा किसी बाहय वस्तु को परीक्षण का माध्यम बनाये। और गुप्ताचरों द्वारा अमात्यों के चरित्र की परीक्षा लें।[10]

निष्कर्ष

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में वर्णित कार्मिक प्रशासन के अन्र्तगत भर्ती व्यवस्था के गहन अध्ययन से इन तथ्यों का पता चलता है कि आज से चौथी सदी ईसापूर्व में भी राजकीय पदो पर भर्ती करने के लिये योग्यता आधारित सिद्धांत पर सर्वाधिक जोर दिया जाता था। कौटिल्य ने प्रत्येक राजकीय पद पर उम्मीदवारों को योग्यतानुसार समान अवसर देने का भी समर्थन किया है कौटिल्य ने पुरोहित पद के अतिरिक्त किसी भी राजकीय पद पर भर्ती के लिये किसी भी प्रकार का आरक्षण प्रदान करने को अनुमति नही दी। साथ ही साथ उच्च राजकीय पदो पर भर्ती के लिये उम्मीदवारों की शारीरिक एवम् मानसिक योग्यताओं पर सर्वाधिक जोर दिया इस के विपरीत निम्नस्तरीय कर्मचारियो के लिये साधारण योग्यताओं के होने पर ही जोर दिया है। कौटिल्य का यह भी मानना था की भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो क्योकि राज्य द्वारा एक ईमानदार और योग्य उम्मीदवार के सम्मान को क्षति पहुंचाई गई तो वह रूष्ट होकर राष्ट्र को हानि भी पहुंचा सकता है अतः भर्ती व्यवस्था को न्यायपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ बनाना अवश्यक है। वर्तमान भारतीय परिदृश्य में सुदृढ राष्ट्रीय परम्पराओं की स्थापना करने एवं राष्ट्रीय सरकार के चरित्र एंव गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये कौटिल्य द्वारा वर्णित योग्यता आधारित भर्ती सिद्धांत एवं प्रणाली को अपनाया जाना प्रासंगिक है। इससे सुशासन के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिये लोकसेवकों को कार्यकुशल, ईमानदार, उत्तरदायी, जवाबदेय एंव सक्षम बनाया जा सकेगा।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

संदर्भ सूची –

1. वाचस्पति गैरोला, (2011) कौटिलीय अर्थशास्त्रम् और चाणक्य सूत्र, वाराणासी, चौखम्बा, विद्याभवन, पृष्ठ स ंख्या 19 ।
2. Radha Kumud Mookerji . (1996) Chandragupta Maurya and his Times. Delhi . Motilal Banarsidas Publishers Private Ltd. Page No. 81
3. वाचस्पति गैरोला, (2011) कौटिलीय अर्थशास्त्रम् और चाणक्य सूत्र, वाराणासी, चौखम्बा, विद्याभवन, पृष्ठ स ंख्या 23, 24।
4. पृष्ठ संख्या –32।
5. पृष्ठ संख्या –49।
6. पृष्ठ संख्या –69।
7. पृष्ठ संख्या –119।
8. पृष्ठ संख्या –25, 26।